

110

R-616-111/15

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र0 : _____ /2015
प्रस्तुती दिनांक 19/03/2015

- 1/ जगन्नाथ माने पिता स्व0 श्री शिवाजी माने
उम्र 47 वर्ष, व्यवसाय - समाज सेवा
निवासी 576, राम नगर, छोटे शिव मंदिर के पास,
साईराम नगर वार्ड, खण्डवा
जिला खण्डवा (म0प्र0)

श्री शिशिर पुरोहित
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 19-3-2015
को प्रस्तुत

1063/19-3-2015

19-3-15
जमीन

..... प्रार्थी

विरुद्ध

- 1/ कलेक्टर, खण्डवा
- 2/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खण्डवा, जिला खण्डवा (म0प्र0)
- 3/ श्री दादाजी धूनीवाला प्रोफेशनल एजुकेशन एण्ड डेव्हलपमेंट
को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि0, द्वारा सचिव, बुधवारा बाजार, खण्डवा
जिला खण्डवा (म0प्र0)

..... प्रत्यर्थागण

आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्य0प्र0सं0

यह कि, प्रार्थी की ओर से कलेक्टर, खण्डवा के विवादित आदेश दिनांक 28/10/2014 को चुनौती देते हुए निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो आदेश दिनांक 28/01/2015 के द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुती हेतु दिनांक 19/03/2015 को प्रार्थी को वापस की गई है। उक्त आदेश के तारतम्य में प्रार्थी निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-616/11/15..... जिला खण्डवा.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>19.9.2017</p>	<p>अवेरक की डाटले युवना उपरोक्त कोई भी उपाक्षित नहीं है तिस वग पुकार कागवाई गद्द, फि भी कोई उपाक्षित नहीं। अतः प्रकाश आडम पैली में निरस्त किया जाता है।</p>	<p>अथर्व</p>